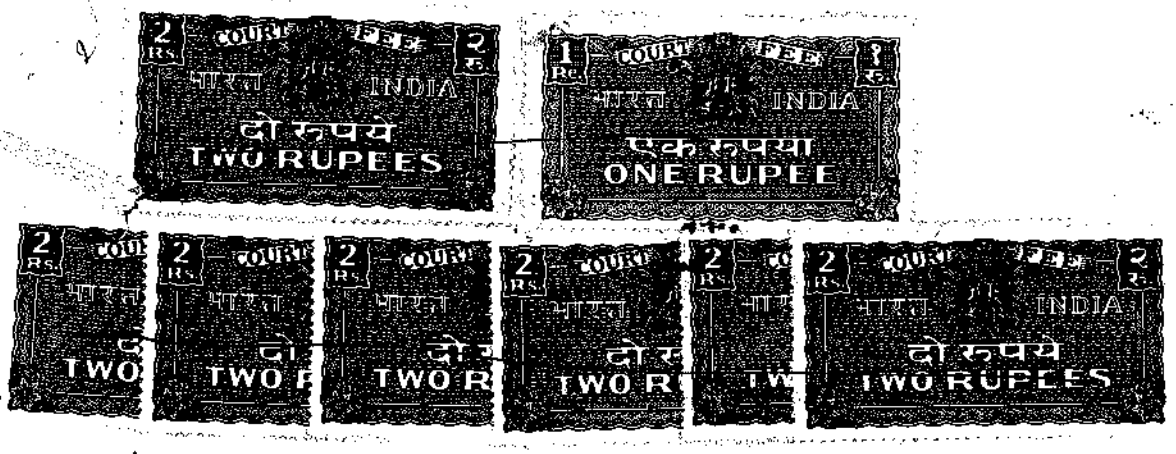

निग० 239-I/08

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. /08 निगरानी

1. रामवीर } पुत्रगण श्री रामनारायण
2. गोपाल प्रसाद } शर्मा

निवासीगण ग्राम नोहरीकलॉं हाल पुजारी होटल शिवपुरी म.प्र.

——आवेदकगण

बनाम

1. लाल सिंह } पुत्रगण झींगुरिया
2. बृजलाल }

निवासीगण ग्राम नोहरी खुर्द तह. व जिला शिवपुरी

3. श्रीमती कमला बाई पुत्री झींगुरिया पत्नी दशरथ निवासी ग्राम रावरी जिला दतिया म.प्र.
4. रामश्री पत्नी नारायण निवासी सोडा का कुंआ किलागेट ग्वालियर
5. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

——अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 125/06–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–02–08 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक क. 1, 2, 3 व 4 के संयुक्त खाते की पैत्रिक भूमि सर्वे क. 90 रकवा 0.376, 91 रकवा 0.188, 93 रकवा 0.293, 94 रकवा 0.376, 95 रकवा 0.885, 183 रकवा 0.209, 184 रकवा 0.115, 185 रकवा 0.084, 186 रकवा 0.094 कुल किता 10 कुल रकवा 2.435 हे. स्थित ग्राम नोहरी खुर्द तह. व जिला शिवपुरी पटवारी हका नं. 32 में स्थित है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 239– एक/08 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ता आदि के हस्ताक्षर
24–5–16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 125/06–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.2.08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम नोहरी खुर्द की भूमि खाता कमांक 179 का उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश दिनांक 16.2.06 द्वारा तहसीलदार तहसील शिवपुरी ने अपने प्रकरण कमांक 6/2005–06/अ–27 में आदेश पारित किया गया है । इससे परिवेदित होकर लालसिंह आदि ने अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 3.4.2007 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अगली पेशी नियत की गयी, इसी अन्तिरिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 26.2.08 आदेश पारित किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाकर	

अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि तहसील न्यायालय शिवपुरी के द्वारा बटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज कर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया जाकर आपत्तियां बुलाई गईं, समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आने से उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश दिनांक 16.2.06 स्वीकार किया गया।

4–अनावेदक क्रमांक–1,2 की ओर से श्री जी0 एस0 राजपूत अधिवक्ता अनुपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निगरानी निरस्त की जावे।

5– मेरे द्वारा आवेदक एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का वारीकी से परीक्षण किया। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या

विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत बटवारा के नियमों का पालन किया गया है? विचारण न्यायालय द्वारा जो इश्तहार जारी किया गया है उसमें कोई तिथि अंकित नहीं है और न ही इश्ताहार की प्रति नोटिस बोर्ड एवं ग्राम की चौपाल पर चस्पा की गई है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है ।

6– अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 26.2.08 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार उभयपक्ष को समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करे। उभयपक्ष सूचित हो। प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य